

आदेश की  
क्रम संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई  
कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-63/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री राम कुमार राम — विक्रेता  
प्रति  
श्री विनोद राम — क्रेता  
**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री राम कुमार राम, पिता-स्व० बंधन राम, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री विनोद राम, पिता-चन्द्रिका राम, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, काण्डी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, काण्डी के पत्र सं० 145/दिनांक 23.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता बंधन चमार एवं अन्य के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-35/1 पर चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि मूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, काण्डी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री राम कुमार राम, पिता-स्व० बंधन राम, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री विनोद राम, पिता-चन्द्रिका राम, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

| ग्राम      | थाना सं० | खाता सं०           | प्लॉट सं०             | रकबा (एकड़ में)    | चौहद्दी   |
|------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| गोसांग     | 205      | पुरान-63<br>नया-35 | पुरान-466<br>नया-1648 | 0.13 $\frac{1}{2}$ | उ०-मुख्य पथ<br>द०-प्लॉट नं०-1648<br>पू०-मुख्य पथ<br>प०-दिनेश राम वगैरह. |
| कुल रकबा:- |          |                    |                       | 0.13 $\frac{1}{2}$ |   |

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा